न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 28 / 2023

1 रामप्यारी पत्नी रामदेवाराम जाति जाट निवासी ग्राम सिहोट छोटी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर।

अपीलांट्स

बनाम

1 लिछमण पुत्र नोपाराम
2 शिवभगवान पुत्र नोपाराम
3 मुकेश पुत्र रामदेवाराम
4 सुभाष पुत्र रामदेवाराम
5 मंजू पुत्री रामदेवाराम
6 इन्द्रा पुत्री रामदेवाराम
समस्त जाति जाट समस्त निवासीगण ग्राम सिहोट छोटी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर।
7 उप पंजीयक सीकर ग्रामीण जिला सीकर।
8 भूमिधारक जरिये तहसीलदार सीकर ग्रामीण वाके ग्राम सबलपुरा जिला सीकर।
9 मंजू देवी पत्नी श्री मदनलाल जाति जाट निवासी जाटो का मोहल्ला ग्राम घिरडोदा बड़ा तहसील नेछवा जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर उनवानी लिछमण बनाम सुभाष आदि मु.नं. 14 / 2023 आदेश दिनांकित 02.02.2023 आगामी ता. पेशी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री भोजराज सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेन्द्र कुमार मातवा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री पवन कुमार पारिक, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
4. श्री गणपतलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
5. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 10/12/25

यह अपील विचारण सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 14/2023 में पारित निर्णय दिनांक 02.02.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीया अपीलान्ट के विरूद्व विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर द्वारा दिनांक 02.02.2023 को अंतरिम रूप से अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर भूमि खसरा नम्बर 22 रकबा 8.20 है. वाके ग्राम सिहोट छोटी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के संबंध में राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश एकपक्षीय से जारी किया गया है। इससे व्यथित होकर यह अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 02.02.2023 को पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है, क्योंकि उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है जबकि प्रार्थीया अपीलान्ट भूमि खसरा नम्बर 22 रकबा 8.20 है. वाके ग्राम सिहोट छोटी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर की रिकॉर्डेड खातेदार, काश्तकारी है और कानूनन रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। प्रार्थीया/अपीलान्ट वादग्रस्त भूमि खसरा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

नम्बर 22 रकबा 8.20 है. वाके ग्राम सिहोट छोटी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के रिकॉर्डेड खातेदार, काश्तकार है और कानूनन एक सहकाश्तकार द्वारा दुसरे सहकाश्तकार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं करवायी जा सकती। राज. काश्त. अधि. के आज्ञात्मक प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक सहकाश्तकार अपने हिस्से की भूमि का उपयोग, उपभोग करने विकय करने के लिये स्वतंत्र है। इसलिये आदेश दिनांकित 02.02.2023 राज. काश्त. अधि. के आज्ञात्मक प्रावधानों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 02.02.2023 जारी करने का कोई युक्तियुक्त कारण अपने आदेश में अंकित नहीं किया है और अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने के लिये रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 3 का न तो प्रथम दृष्टया मामला था ओर न ही उनके पक्ष में सुविधा का संतुलन था और उक्त आदेश जारी करने से अपूरणीय क्षति अपीलान्ट को हो रही है। इसलिये आदेश जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। आदेश दिनांक 02.02.2023 की शुरू में अपीलान्ट को कोई जानकारी नही थी और न ही अपीलान्ट को कोई नोटिस प्राप्त हुआ है। अपीलांट द्वारा हल्का पटवारी से उक्त भूमियों पर ऋण लेने हेतु सम्पर्क किया तो हल्का पटवारी द्वारा न्यायालय का स्थगन होना बताया तथा प्रार्थीया ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर उक्त आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की। प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने से अपील अंदर मियाद सादर प्रस्तुत है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रार्थीया अपीलान्ट के विरूद्ध विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर द्वारा दिनांक 02.02.2023 को अंतरिम रूप से अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर भूमि खसरा नम्बर 22 रकबा 8.20 है. वाके ग्राम सिहोट छोटी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के संबंध में राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश एकपक्षीय से जारी किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा लंबित आवेदन अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में उभयपक्ष को सुनकर गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना शेष है। इससे पूर्व इस स्तर पर विचाराधीन अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रस्तुत अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विलम्ब को कंडोन करने के लिए विधि द्वारा निर्धारित धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट मियाद एवं गुणावगुण दोनों पर खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीया अपीलान्ट के विरूद्ध विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर द्वारा दिनांक 02.02.2023 को अंतरिम रूप से अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर भूमि खसरा नम्बर 22 रकबा 8.20 है. वाके ग्राम सिहोट छोटी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के संबंध में राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश एकपक्षीय से जारी किया गया है।

विचारण न्यायालय द्वारा लंबित आवेदन अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में उभयपक्ष को सुनकर गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना शेष है। इससे पूर्व इस स्तर पर विचाराधीन अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

प्रस्तुत अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ विलम्ब को कंडोन करने के लिए विधि द्वारा निर्धारित धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट मियाद एवं गुणावगुण दोनों पर खारिज योग्य पाई जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट मियाद व गुणावगुण दोनों पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 10/12/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर